(155)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी नि.प्र. 2733-II-16

1– अमोल पुत्र श्री सुक्का आदिवासी
2– बाबू पुत्र श्री सुक्का आदिवासी
निवासीगण – दुर्गापुर तहसील खनियाधाना जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
-- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
-- अनावेदक

द्वारा 16.8.16 को प्रस्तुत
16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/2015–16/अ–21/(1) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम दुर्गापुर सर्वे नं. 278 रकवा 0.27 है0, सर्वे नं. 281 रकवा 0.36 है0, सर्वे नं. 283 रकवा 0.44 है0 एवं सर्वे नं. 291 में से 0.4 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 21 नया 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी का विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उन्हे अपनी घरू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपये की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार कर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2733/एक/2016 जिला–शिवपुरी

क्रमांक तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-8-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 25/2015–16 /अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 03.08. 2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम दुर्गापुर सर्वे नं. 278 रकवा 0.27 है0, सर्वे नं. 281 रकवा 0.36 है0, सर्वे नं. 283 रकवा 0.44 है0 एवं सर्वे नं. 292 में से 0.4 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 21 नया 27 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी का विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि उसके घरू खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा अपनी शेष बची भूमि का उपजाऊ बनाना चाहता है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3– आवेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	

द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम दुर्गापुर स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 0.27 है0, सर्वे नं. 281 रकवा 0.36 है0, सर्वे नं. 283 रकवा 0.44 है0 एवं सर्वे नं. 292 में से 0.4 है0 भूमिविक्रय की अनुमति चाही गयी है [redacted] **आवेदकगण** द्वारा अपनी शेष बची भूमि में सुधार कर तथा उसे कृषि योग्य बनाने हेतु धन की आवश्यकता है, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है, और उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक (घरू) आवश्यकताओ से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व,

स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से सर्वे नं. 278 रकवा 0.27 है0, सर्वे नं. 281 रकवा 0.36 है0, सर्वे नं. 283 रकवा 0.44 है0 एवं सर्वे नं. 292 में से 0.4 है0 भूमि को विक्रय करना चाहते है। आवेदक के पास उक्त भूमि विक्रय करने के पश्चात् अन्य कृषि भूमि शेष बचेगी। इस प्रकार आवेदकगण भूमिहीन नहीं होगी एवं बची हुयी भूमि को कृषि योग्य बना सकेगे। बल्कि उनके जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदकगण की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है, वह विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 अपास्त किया जाकर आवेदकगण को ग्राम दुर्गापुर तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 0.27 है0, सर्वे नं. 281 रकवा 0.36 है0 सर्वे नं. 283 रकवा 0.44 है0 एवं सर्वे नं. 292 में से 0.4 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य